



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-418

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 328029 दिनांक 25/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	VIJAY SHARMA S/o BAJRANG LAL SHARMA	मैसर्स सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर भगवती प्रसाद शाह पुत्र श्री काशी प्रसाद शाह	36-A	83.33 SQ. YARD	Private	BALAJI VIHAR Sector/Block-B	Name Transfer	आवेदक श्री विजय शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा द्वारा निजी खातेदारी की योजना बालाजी विहार-बी के उपविभाजित भूखण्ड संख्या 36-ए क्षेत्रफल 83.33 वर्ग मीटर का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या 36 कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग मीटर का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 21.01.2014 को मैसर्स सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर भगवती प्रसाद शाह पुत्र श्री काशी प्रसाद शाह के नाम जारी किया गया था। योजना बालाजी विहार-बी के भूखण्ड संख्या 35



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								से 40 की लीजडीड मैसर्स सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर भगवती प्रसाद शाह पुत्र श्री काशी प्रसाद शाह के नाम से जारी की गई है एवं लीजधारक द्वारा पूर्व में उक्त भूखण्डों का पुनर्गठन/उपविभाज न हेतु प्रस्तुत आवेदन के क्रम में उक्त भूखण्डों का पुनर्गठन/उपविभाज न करते हुए जेडएलसी की बैठक दिनांक 06.12.2017 के निर्णयानुसार आवेदित भूखण्ड संख्या 36-ए क्षेत्रफल 83.33 व0ग0 का सृजन कर उपविभाजन पत्र दिनांक 28.02.2018 को जारी किया जा चुका है। आवेदित भूखण्ड का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2018 के माध्यम से लीजधारक द्वारा श्री गोपी मोहन माथुर एवं श्रीमती अरूणा माथुर को किया गया है। तत्पश्चात क्रेता द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक
--	--	--	--	--	--	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

27.02.2026 के
माध्यम से श्री
विजय शर्मा पुत्र
श्री बजरंग लाल
शर्मा को बेचान
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. VIJAY SHARMA S/o BAJRANG LAL SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |